संख्या-13/2019/1308/71-4-2019-एस-05/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 03 दिसम्बर, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1714/ई/यूपीयूएमएस/2019-20 दिनांक 08-08-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 500 बेडेड सुपर स्पशियलिटी ब्लाक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 84,05,63,000/- (रूपया चौरासी करोड पॉच लाख तिरसठ हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या 2016/09/71-2-17-एस-5/2015, दिनांक 03.01.2017 द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर रू0 27,63,25.000/-(रूपया सत्ताइस करोड़ तिरसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान संख्या-83 से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण हेतु रू0 5,80,28,000/- (रूपया पॉच करोड अस्सी लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० में नहीं रखा जायेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजनाओं में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण एवं कार्य का प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
11. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
12. प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये तथा उस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रयोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त निर्गत की जायेगी।
13. प्रायोजना प्रस्ताव में अन्डर ग्राउण्ड टैंक, टैरेस पर टैंक, हार्टीकल्चर, स्ट्रीट लाइट, समरसिविल पम्प, रेनवाटर हार्वेस्टिंग की लागत एकमुश्त/डी०एस०आर० के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन तैयार किया जायेगा तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।
14. प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, साइलेन्ट डी0जी0 सेट एवं ट्रान्सफार्मर का प्राविधान कोटेशन/बाजार दर पर किया गया है, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः विश्वविद्यालय निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स के आधार पर किया जाय।
15. प्रायोजना का निर्माण 03 ब्लाक में कराया जाना है तथा प्रत्येक ब्लाक का निर्माण अलग-अलग किया जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा बजट उपलब्धता के दृष्टिगत प्रायोजना की फेजिंग इस प्रकार की जाय कि निर्मित आवासों का उपयोग क्रमिक रूप से होता रहे।
16. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे कुर्सी क्षेत्रफल में वृद्धि, नए कार्य बढ़ना, कार्यो के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई-परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्यो के फोटोग्राफ अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ आयुर्विज्ञान 0प्र0विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0प्र0लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015, दिनांक 27.03.2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:-13/2019/1308(1)/71-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव